

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम तालेडा जिला बून्दी

कुसावती पुत्री बीरलाल

बनाम

सरकार

क्रिम मुकदमा:- 136LR Act नं 209/प्रा०पत्र/सत्र/2024

नमूना नं. हुकम	हुकम या कार्यवाही मरा इनिशियल जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की लागूत में जारी हुए
07/24	प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। प्रार्थी नय वकील उपस्थित है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाये। अज्ञात व्यक्ति को जयें सम्मन ललव किया जावे। पत्रावली दिनांक 15/7/24 को पेश हो।	
13/7/24	<p>पञ्जावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थिया के खतदार अधिका की वृष भूमि खाता सं. न्या 568 पुराना 531 के ग्राम तीरथ संवत् 2076 में प्रार्थिया का नाम कुसावती के स्थान पर कान्तीबाई पुत्री बीरलाल दर्ज किया गया। जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम कुसावती है ग्राम तीरथ की अन्य वृष भूमि खाता सं. 251 के ग्राम तीरथ में प्रार्थिया का नाम कुसावती दर्ज रेकाड है अतः प्रार्थिया का नाम कान्तीबाई के स्थान पर कुसावती के संशोधित किया जावे।</p> <p>तहसीलदार तालेडा दादापानुल रिपोर्ट अनुसार कान्तीबाई एवं कुसावती एक ही महिला है अतः कुसावती के कान्तीबाई के रूप में जाने की अनुशेषा की गई।</p> <p>तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट एवं उपलब्ध रेकाड के अवलोकन कुल से प्रार्थिया का वास्तविक नाम</p>	

तारीख हुतम

हुतम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जंज


मजरा
मजरा
मजरा

सदस्य
२५.६.२५

कान्तीवाट नही होकर बुलावती होना
पतीत होने प्राण प्राणिया स्वीकार किया
जाकर राजस्व रेडिट शुभे वाला ल० नमा
५६४ पुराना ५३१ वाके ग्राम तीरथ मे प्राणिया
का नाम कलावती उर्फ कान्तीवाट पुष्पि हीरालाल
संशोधित किया जाता है शेष पतिवटिया
प्रभाव रहेगी पत्रावली फंसल शुभा होना
नम्बर से कम है। बाद तालील तालील
निम्नानुसार दाखिल रहता है।


सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या...९१.....


अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत
बैच संख्या...९१.....
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक
मजिस्ट्रेट तालेडा (बून्दी)